उत्तर रेलवे
NORTHERN RAILWAY

प्रधान कार्यालय,
बड़ौदा हाउस,
नई दिल्ली।

मु0क्र0सं0 13500/95

पं.सं. 561-E/6 CPC/DA/08 दिनांक 15/04/2009.

सभी मुख्य विभागाध्यक्ष
समस्त मण्डल रेल प्रबन्धक
एवं अतिरिक्त मण्डल कार्यालय
(मानक सूची के अनुसार)

विषय:- Rates of Dearness Allowance applicable w.e.f. 1.01.2009 to the Railway employees continuing to draw their pay in the pre-revised scale.

रेल मंत्रालय के पत्र सं. PC-V/2009/A/DA/1 दिनांक 01/4/2009 (आर.बी.ई.सं.59/09) क्र.सं. पी.सी.-VI No.95 की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

इसमें उल्लिखित रेल मंत्रालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 17/11/2008(आर.बी.ई.सं.179/2008) की प्रतिलिपि मु0क्रं0सं0 13500/48 के अर्न्तगत भेजी जा चुकी हैं।

पत्र का हिन्दी अनुवाद भी साथ में भेजा जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती अवश्य भेजें।

संलग्न/यथोक्त

15/4/09

(Om Prakash)
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि:-

1. सभी कार्मिक अधिकारी/प्र.का. बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली।
2. महासचिव;एनआरएमयू,12 चेम्सफोर्ड रोड;नयी दिल्ली
3. महासचिव;अ0भा0अ0जा0/अ0ज0जा0 रेल कर्मचारी संगठन सी-16 के रेलवे कालोनी लाजपतनगर;नईदिल्ली-24
4. महासचिव;अ0भ0अ0पि0व0 रेल कर्मचारी संगठन 171/ए;3 बसंत लेन नई दिल्ली।

GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय
(Railway Board) रेलवे बोर्ड

S.No. PC-VI/95
No. PC-V/2009/A/DA/1

RBE No. 57/2009
New Delhi, dated: 1-04-2009

The General Managers/ CAO(R),
All Indian Railways & PUs
(As per standard mailing list)

Sub: - Rates of Dearness Allowance applicable w.e.f. 1.01.2009 to the Railway employees continuing to draw their pay in the pre-revised scale.

In continuation of Ministry of Railway's letter No.PC-V/97/I/7/14 dated 17.11.2008, (PC-VI/48, RBE No.179/2008) revising rates of Dearness Allowance w.e.f. 01.07.2008 in respect of Railway Servants who continue to draw their pay and emoluments in the pre-revised scales of pay (V CPC Scale), the rates of Dearness Allowance admissible to these category of employees shall be enhanced from the existing 54% to 64% w.e.f. 01.01.2009. All other conditions as laid down in the Board's letter dated 17.11.2008 ibid will continue to apply.

2. The payment of arrears of Dearness Allowance for the month of January and February, 2009 shall not be made before the date of disbursement of salary of March, 2009 and no honorarium is payable for preparing separate bill for this purpose.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

4. Hindi version is attached.

(N.P.Singh)
Dy.Director, Pay Commission - V
Railway Board

No. PC-V/2009/A/DA/1

New Delhi, dated: 1-04-2009

Copy (with 40 spares) forwarded to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), New Delhi.

For Financial Commissioner, Railways

D:\Virender\Dearness Allowance.doc

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्रम सं. पीसी-VI/ 95
सं. पीसी-V/2009/ए/डीए/1

आर बी ई सं. 59 /2009
नई दिल्ली, दिनांकः 1-04-2009

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर)
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषयः संशोधन पूर्व वेतनमान में अपने वेतन का आहरण जारी रखने वाले रेल कर्मचारियों को 01.01.2009 से लागू महंगाई भत्ते की दरें।

रेल मंत्रालय के 17.11.2008 के पत्र सं. पीसी-V/97/I/7/14 (पीसी-VI/48, आरबीई सं. 179/2008) के क्रम में, रेल सेवक, जिन्होंने वेतन के संशोधन पूर्व वेतनमानों (V के.वे.आ. वेतनमान) में अपना वेतन और परिलब्धियों का आहरण जारी रखा है, के संबंध में 01.07.2008 से महंगाई भत्ते की दरों को संशोधित करते हुए, इन कोटियों के कर्मचारियों को ग्राह्य महंगाई भत्ते की दरों को 01.01.2009 से मौजूदा 54% से 64% तक बढ़ा दिया जाएगा। बोर्ड के 17.11.2008 के उक्त पत्र में निर्धारित अन्य सभी शर्तें लागू रहेंगी।

2. जनवरी और फरवरी, 2009 के माह के लिए महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान मार्च 2009 के वेतन बिल के वितरण की तारीख से पहले नहीं किया जाएगा और इस प्रयोजन हेतु अलग बिल बनाने के लिए कोई मानदेय देय नहीं है।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(एन.पी. सिंह)
उप निदेशक, वेतन आयोग-V,
रेलवे बोर्ड

FINANCE-PC-V